न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

(88)

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3729 प्रकरण क्रं.

श्रीमती प्रेमबाई पत्नि श्री नंदकिशोर
आयु वयस्क निवासी–रासलाखेडी
विदिशा रोड भानपुर भोपाल ------ निगरानीकर्ता

विरूद्ध

कैलाश आ. नन्नूलाल आयु वयस्क
निवासी–रतन कॉलोनी जेल रोड
करौंद, भोपाल म0प्र0 ------ उत्तरदाता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

उक्त निगरानी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 44/अपील/13-14 में पारित आलोच्य अन्तरिम आदेश दिनांक 24/07/2017 के विरूद्ध दुखित एवं पेरिवेदित होकर ज्ञान दिनांक 25/09/2017 से समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है :-

निगरानी के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता के पिता स्वर्गीय रामकिशन पुत्र कल्ला के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम मुगालिया हाट तहसील हुजूर जिला भोपाल जिसका खसरा क्रमांक 290, 291(क) रकबा 0.619 हेक्टेयर थी जो उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही थी रामकिशन की फौत होने के पश्चात् उत्तरदाता ने उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता की जानकारी के बिना नामान्तरण पंजी क्रमांक 102 आदेश दिनांक 28/12/1991 के माध्यम से नामान्तरण करवा लिया जिसमें नामान्तरण नियमों का ... वैधानिक उत्तराधिकारी होने के

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/3729

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	